दिल्ली विकास प्राधिकरण

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **एमआईजी फ्लैट नं. 182, दूसरी मंज़िल, पॉकेट–10, सेक्टर–11, रोहिणी, दिल्ली** मूल रूप से एनपीआरएस–1979 के तहत **श्री धनपत सिंह चौधरी** को आवंटित किया गया था जिसे बाद में **श्री सतीश कुमार (पुत्र श्री धनपत सिंह)** के नाम पर हस्तांतरित / म्यूटेट कर दिया गया।

इसके अलावा, माननीय न्यायालय द्वारा सिविल सूट सं. 578100 / 2016, शीर्षकः एनाक्षी बनर्जी बनाम सतीश कुमार में पारित निर्णय दिनांक **15.05.2019** और उसके बाद की निष्पादन कार्यवाही के अनुसार माननीय न्यायालय ने **श्रीमती एनाक्षी बनर्जी (पत्नी श्री प्रबीर कुमार)** के पक्ष में बिक्री का समझौता और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने का निर्देश दिया था। तदनुसार, न्यायालय द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक **16.12.2024** को उक्त दस्तावेज़ निष्पादित और पंजीकृत किया गया हैं।

अब, श्रीमती एनाक्षी बनर्जी ने उपर्युक्त फ्लैट का **वास्तविक कब्ज़ा** सौंपे जाने हेतु विभाग से संपर्क किया है।

अतः, कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन जिसका उक्त संपत्ति के संबंध में कोई दावा, आपत्ति, ग्रहणाधिकार, विवाद या हित हो तो उन्हें इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि उनकी कोई आपत्ति हो तो वे उसे सहायक दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **15 (पंद्रह) दिनों** के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह मान लिया जाएगा कि **कोई दावा विद्यमान नहीं है**, और उक्त फ्लैट का कब्ज़ा **श्रीमती एनाक्षी बनर्जी** को सौंपने हेतु आगे की आवश्यक कार्रवाई बिना किसी और संदर्भ के उनके पक्ष में की जाएगी।

उप निदेशक (एमआईजी)–एच
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.gov.in देखें या टोल फ्री नंबर 1800110332 डायल करें